न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 28/2023
जी.सी.एम.एस नम्बर – 2023/160

अपीलान्टगण **बनाम** रेस्पोडेन्टगण :–

1. मृत रतनलाल पुत्र स्व. मोतीलाल के विधिक वारिसान–
   1.1 दिनेश कुमार त्रिवेदी पुत्र स्व रतनलाल
   1.2 गजेन्द्र त्रिवेदी पुत्र स्व रतनलाल
   1.3 मुकेश कुमार त्रिवेदी पुत्र रतनलाल
   1.4 मनोज कुमार त्रिवेदी पुत्र रतनलाल
   समस्त जातिगण श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी पुरानी सब्जी मण्डी सोजत मार्ग सोजत तहसील सोजत जिला पाली
   1.5 प्रभा पुत्री स्व. रतनलाल धर्मपत्नी श्री जयंतीलाल श्रीमाली ब्राहम्ण निवासी सरकारी कर्मचारी कॉलोनी मोड भट्टा सोजत तहसील सोजत जिला पाली

रेस्पोडेन्टगण :–

1. मुन्नालाल पुत्र छगनीलाल
2. दाउलाल पुत्र छगनीलाल सभी जातिगण श्रीमाली ब्राहम्ण निवासीगण पुरानी सब्जीमण्डी सोजत मार्ग तहसील सोजत जिला पाली
3. राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार सोजत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96(3) सी.पी.सी. एवं अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री दौलत मकवाना विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण।
2. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 व 2

–: निर्णय :–

दिनांकः– 15.5.2024

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96(3) सी.पी.सी. के तहत पेश कर जैर अपील प्रार्थना पत्र में प्राथमिक आपत्ति दर्ज करते हुए अपील पोषनीय नही होने से खारिज करने का निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपना जवाब पेश किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सूनी गई।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि उक्त अपील आपसी सहमति (राजीनामा) से किये गये विभाजन आदेश दिनांक 22.10.2021 के विरूद्ध तत्कालीन खातेदार के वारिसान की ओर से उनकी मृत्यु के एक वर्ष बाद तथा आदेश के 2 वर्ष बाद पेश की है। अपील में आपसी सहमति से विभाजन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अपीलाण्ट के पिताजी रतनलाल के द्वारा निष्पादित करना स्वीकार किया है। रतनलाल ने सहमति से विभाजन हेतु आवेदन पर हस्ताक्षर भी किये थे तथा स्वंय का अगुंष्ठ निशान भी किया था, उक्त हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान उनके पुत्र अपीलाण्ट गजेन्द्र त्रिवेदी की उपस्थिति में स्वेच्छा से किये थे जिसके सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने साक्ष्य स्वरूप हस्ताक्षर किये थे। आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय के विरूद्ध अपील के कोई प्रावधान नहीं है इस सम्बन्ध में अलग से केवल सिविल न्यायालय में उक्त आदेश को निरस्त करवाने बाबत् वाद ही पेश हो सकता है, ऐसी स्थिति में अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की है। तहसीलदार द्वारा आपसी सहमति के बंटवारे का आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(2) के तहत किया गया। राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 में प्रावधान है कि यदि प्रकरण में तहसीलदार ने आदेश दिया है तो उसके विरूद्ध अपील जिला कलक्टर के यहा होती है। परन्तु उक्त प्रकरण में सहमति के आधार पर बंटवाडा हुआ है इसलिये अपीलाण्ट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 256 के अनुसार इस आदेश के विरूद्ध सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2008(2) 1138 (FB), RRT 2011 (1) 477, RRT 2016–17 (Sup.) 714, 2006 DNJ (SC) 764, RRT 2015 (2) 1420 (DB), RRT 2018(2) 1341 (DB), RRD 2018 485 (DB), RRT 2012 (1) 558 (SC) पेश कर प्राथमिक आपत्ति को स्वीकार करते हुये अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि लोक अदालत एवं न्याय आपके द्वारा कैम्प कोर्ट का उद्देश्य न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण पक्षकारों के मध्य समझाइस कर राजीनामा के माध्यम से किया जाना है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आर.सी.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में अभिनिर्धारित किया गया कि लीगल सर्विसेज ऑथरिटीज एक्ट 1987 की धारा 20 के तहत पॉवर ऑफ डिसपोजल ऑफ कैसेज बाई लोक अदालत No Order can be passed by lok adalat if no compromised or settlement or could at between parties. 96(3) सीपीसी अनुसार पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी।

अपीलार्थीगण ने हस्तगत अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थीगण के पिता एवं अपीलार्थी गजेन्द्र त्रिवेदी को मुगालते में रखकर सोची समझी साजिश एवं षडयंत्र के तहत वादग्रस्त भूमि का सीमांकन एवं नाप चौक करवाने का कहकर खाली फॉर्म पर अपीलार्थीगण के पिता के हस्ताक्षर करवाकर उसके आधार पर खसरा नम्बर 140 एवं 141 में 1/2–1/2 के स्थान पर जैर अपील आदेश क्रमांक राजस्व/कैम्प/2021/214 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा विधि विरूद्ध रूप से बंटवाडा किया। उक्त आदेश के पश्चात उसी दिन आदेश क्रमांक/215 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा खसरा नम्बर 140 रकबा 2.6300 हैक्टर तथा आदेश क्रमांक/216 दिनांक 22.10.2021 के द्वारा खसरा नम्बर 140/2 रकबा 1.9250 हैक्टर का विधि विरूद्ध बंटवाडा किया गया।

अपीलार्थी की अपील धारा 225 आर.टी.एक्ट. के तहत है, न की धारा 96(3) सीपीसी के तहत। धारा 225 आर.टी.एक्ट. में तथाकथित आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील करने में कोई निषेध नहीं है। धारा 208 आर.टी.एक्ट. के अनुसार सीपीसी (केन्द्रीय अधिनियम 5, सन 1908) के उपबन्ध सिवाय उनके जो– इस अधिनियम की किसी भी बात में असंगत उपबन्धों के, ऐसी असंगति की सीमा तक, इस प्रकार जब धारा 225 आर.टी.एक्ट. के तहत तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पत्र पर पारित अन्तिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो कि इस अधिनियम की धारा 212 एवं सिविल प्रकिया संहिता की धारा 104 के विरूद्ध अपील– यदि आदेश तहसीलदार ने दिया है तो कलक्टर के यहा।

अपीलार्थीगण के पिता रतनलालजी की स्वतंत्र सहमति लिये बिना ही बाले–बाले तथा आपसी सहमति बंटवाडा हेतू खाली आवेदन–पत्र पर उपर दर्ज

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

अति. जिला कलेक्टर पाली

वादग्रस्त भूमि का सीमांकन एवं नाप–चौके करवाने का कहकर अपीलार्थीगण के पिता व अपीलार्थी गजेन्द्र त्रिवेदी को धौखे में रखकर हस्ताक्षर करवाये। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त RRD 86 666 पेश कर जैर अपील आदेश प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है इसलिये रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र अस्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने जैर अपील अपना खाता अपना खेत अभियान के तहत आपसी सहमति बंटवाडा में तहसीलदार सोजत द्वारा पारित आदेश क्रमांक / राजस्व / कैम्प / 2021 / 214 दिनांक 22.10.2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की है। जिस पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने प्राथमिक आपत्ति अन्तर्गत धारा 96(3) सीपीसी पेश की है। जिसका प्रतियुतर अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा दिया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के अनुसार तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वरूप के आवेदन पत्र पर पारित अन्तिम आदेश तथा ऐसे आदेश जो कि इस अधिनियम की धारा 212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता (केन्द्रीय अधिनियम 5, सन् 1908) की धारा 104 में उल्लिखित हैं के विरूद्ध अपील – यदि आदेश तहसीलदार ने दिया है तो कलक्टर के यहां। परन्तु जैर अपील तहसीलदार सोजत द्वारा आपसी सहमति बंटवाडे में आदेश क्रमांक / राजस्व / कैम्प / 2021 / 214 दिनांक 22.10.2021 के विरूद्ध पेश की है एवं इस सम्बन्ध अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक द्रष्टान्त RRT 2015 (2) 1420 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER के अनुसार ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955– धारा 53 व 188– वाद डिक्री किया–समवर्ती निष्कर्ष–राजीनामा के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री पारित की–राजीनामा से डिक्री के विरूद्ध अपील पेश नहीं की जा सकती–निर्णित, अपील सारहीन है व खारिज की'' एवं उसमें पारित निर्णय अनुसार राजीनामा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित व न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। राजीनामा के आधार पर पारित डिक्री को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि राजीनामा धोखा या कपट से कराया गया है। अतः राजस्व न्यायालय इस आधार पर प्रकरण को तय नहीं कर सकते है। "No appeal is maintainable against the decree passed on the basis of the compromise." जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा राजीनामा सहमति बंटवाडे में पारित आदेश की अपील को राजस्व न्यायालय इस आधार पर तय नहीं कर सकता कि राजीनामा धोखा या कपट से कराया गया है।

तहसीलदार सोजत ने अपना खाता अपना खेत अभियान के तहत आपसी सहमति बंटवारा के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया जबकि अपीलाण्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 का सन्दर्भ देते हुए लोक अदालत में जरिये राजीनामा निस्तारण के प्रावधान बताये है। चुकि उक्त प्रकरण लोक अदालत में निस्तारित नहीं हुआ है इसलिये लोक अदालत के प्रावधान इस पर लागु नहीं होते है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 256 के अनुसार ''इस अधिनियम के अन्तर्गत या इसके द्वारा विशेष रूप से अन्यथा उपबन्धित दशा के अतिरिक्त, इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों से पैदा होने वाले किसी भी मामले जिसके प्रतिकार स्वरूप उसमें वाद, प्रार्थना–पत्र, अपील या अन्य रूप में उपबन्धित की हुई है, के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।'' जबकि जैर अपील बंटवाडा आदेश आपसी सहमति से होने के कारण इसमें

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किसी भी प्रकार का प्रतिकार उत्पन्न नहीं हुआ है। जिसके तहत जैर अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट. में पोषणीय नहीं है।

सहमति के बंटवारा पर मृतक अपीलाण्ट रतनलाल के हस्ताक्षर एवं अगुष्ठ निशान है तथा साक्ष्य के रूप में अपीलाण्ट संख्या 1.2 गजेन्द्र त्रिवेदी पुत्र स्व. रतनलाल के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव मृतक अपीलाण्ट की आपसी सहमति से हुआ है। जिसे विधिवत रूप से तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर जैर अपील आदेश जारी किए गए है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96(3) सीपीसी स्वीकार की जाती है जिसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप जैर अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली
(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 15/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली